# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : किशनसिंह राजपुत वगैरह** — **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

**किस्म मुकदमा – 131, 133 भू.राजस्व अधिनियम** — **पत्रावली संख्या : 151/2024**

**जीसीएमएस : 2024/566**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण |
|---|---|

दिनांक : 28.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल पर नामान्तरण पत्रावली में आंवटित भूमि (वर्तमान आराजी नम्बर 1868/1211) का नक्शा अलग से उपलब्ध नहीं है। केवल नामान्तरण फर्द पर बना हुआ है। नक्शा लट्ठा शीट में भी उक्त भूमि की तरमीम नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 1868/1211 की भूमि वर्तमान में प्रार्थी किशनसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. देह, संतोष कुंवर पत्नि माधुसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा वाड़ा, मारूवास तहसील घासा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि को आ.ना. 1909/1211 में तरमीम करवाना चाहता है। जो कि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला चारणिया तलाई म. देह भवन एवं खेल मैदान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1868/1211 का आवंटन, दुदा पिता प्रथा लौहार सा पिपरोली के नाम हुआ जिसके नामान्तरण व आवंटन पत्रावली साथ सलंग्न है एवं विद्यालय के नाम पर आवंटित भूमि का नामान्तरण व आवंटन आदेश साथ सलंग्न है।

तहसीलदार घासा से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल पर नामान्तरण पत्रावली में आंवटित भूमि (वर्तमान आराजी नम्बर 1868/1211) का नक्शा अलग से उपलब्ध नहीं है। केवल नामान्तरण फर्द पर बना हुआ है। नक्शा लट्ठा शीट में भी उक्त भूमि की तरमीम नहीं है। भू नक्शा अनुसार 1868/1211 रकबा 0.0809 हैक्टेयर की भूमि वर्तमान में प्रार्थी किशनसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. देह, संतोष कुंवर पत्नि माधुसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा वाड़ा, मारूवास तहसील घासा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि को आ.न. 1909/1211 में तरमीम करवाना चाहता है। जो मूल आराजी नम्बर 1211 का बटा नम्बर होकर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला चारणिया तलाई म. देह भवन एवं खेल मैदान के नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर मौके पर आंशिक भाग पर भवन बना हुआ है। आराजी नम्बर 1868/1211 का आवंटन प्रार्थी दुदा पिता प्रथा लौहार सा पिपरोली के नाम हुआ। प्रार्थी नक्शे में आराजी नम्बर 1909/1211 में जिस स्थान पर तरमीम करवाना चाहता है, वह राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला चारणिया तलाई म. देह भवन एवं खेल मैदान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा प्रार्थी नक्शे में जहां तरमीम करवाना चाहता है वह मौके पर खाली पड़ी हुई है। मौके पर प्रार्थी द्वारा कांटो की बाड़ लगाकर कब्जा है। आवंटी दुदा पिता प्रथा लौहार को आवंटन पत्रावली संख्या 1530/83 दिनांक 30.01.83 को हुआ था। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला के नाम आवंटन 4.12.01 को हुआ था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम पिपरोली पटवार हल्का ... तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 1868/1211 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी ... के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम पिपरोली के नामान्तरकरण संख्या 248 अनुसार उक्त भूमि दूदा पिता प्रथा के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन से दर्ज हुई। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि तरमीम लट्ठा नक्शा में नही है। नामान्तरकरण पर नक्शा बना रखा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि की तरमीम लट्ठा नक्शा में नही थी। उक्त भूमि का नक्शा नामान्तरकरण संख्या 218 पर अंकित है। सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पर अंकित नक्शे अनुसार तरमीम नही कर अपनी मनमर्जी से विपरित दिशा में तरमीम कर दी गई। जिससे राजस्व नक्शे में अशुद्धि हो गई। राजस्व कर्मचारियो को सेग्रीगेशन के दौरान नामान्तकरण संख्या 218 का अवलोकन करते हुए इस पर अंकित नक्शे अनुसार वादग्रस्त भूमि की तरमीम करनी चाहिए थी। तहसीलदार घासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 218 पर अंकित नक्शे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। ऐसे में राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

**—: <u>आदेश</u> :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 1868/1211 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि की तरमीम ग्राम पिपरोली के नामान्तरकरण संख्या 218 पर अंकित नक्शे अनुसार तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested